

पूर्वोत्तर रेलवे

अधिसूचना

रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं० ई(एन.जी.)११/२००७/आर.सी-०४/सी.ओ.आर.ई/। दिनांक १६.१०.२०१७, १२.१२.२०१७ में निहित निर्देशों के आधार पर महाप्रबन्धक महोदय के अनुमोदनोपरान्त गोरखपुर मुख्यालय इकाई के विभिन्न विभागों की रिक्तियों को भरने के लिए विभागीय सेवानिवृत्त कर्मचारियों से मासिक पारिश्रमिक के आधार पर रिइंगेजमेंट किये जाने हेतु जारी अधिसूचना सं० का/२२७/१/रीइंगेजमेंट/भाग-VIII/२०१८ दिनांक २३.०३.२०१८ के क्रम में उपयुक्त (सुटेबुल) सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं मिल पाने के कारण रिक्त रह गये निम्नलिखित पदों के लिए पुनः आवेदन आमंत्रित है:-

क्रम सं०	विभाग	संवर्ग	रिक्त पदों की संख्या
१	कार्मिक	लिपिक संवर्ग	०६
२	प्रबन्ध	सी०एल०ए०	०२
३	प्रमुविइ	लिपिक संवर्ग	०३
४	इन्जी० मुख्यालय	लिपिकीय संवर्ग	१०
५	इन्जी०/टी०एम०सी०	सीसेई/जेई	१९
६	इन्जी०/टी०एम०सी०	टेक्नीशियन	२८
७	इन्जी०/टी०एम०सी०	खलासी	४०
८	वाणिज्य कार्यालय	लिपिक	०४
९	वाणिज्य कार्यालय	वाणिज्य निरीक्षक/टीटीई	१८
१०	परिचालन	लिपिक संवर्ग	०१

अतः उपरोक्त पदों के विरुद्ध सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों से री-इंगेज करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जिनकी शर्तें निम्नवत् होगी:-

१. इस अधिसूचना के तहत आवेदक आवेदन की अंतिम तिथि ०४.०२.२०१९ को आवेदक की उम्र ६५ वर्ष से कम होनी चाहिए।
२. यह री-इंगेजमेंट पी.एच.ओ.डी. के द्वारा संतोषजनक वर्किंग रिपोर्ट/अनुमोदन के आधार पर किया जा सकेगा। यह री-इंगेजमेंट रेल कर्मचारियों की आयु ६५ वर्ष पूर्ण होने तक अथवा दिनांक ०१.१२.२०१९ की स्कीम अवधि अथवा आवश्यकता न होने पर अथवा आर.आर.सी./आर.आर.बी. से कर्मचारी उपलब्ध होने पर अथवा विभागीय नामिका प्राप्त होने पर जो पहले हो, तक ही सीमित रहेगी एवं इनका कार्य विस्तार उपरोक्त शर्तों के अधीन स्कीम के अवधि विस्तार तक सीमित रहेगा।
३. री-इंगेजमेंट के समय सेवानिवृत्तकर्मियों को विकित्साकीय रूप से फिट होना चाहिए।
४. री-इंगेजमेंट कर्मचारियों को मासिक पारिश्रमिक व भत्ते रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई (एन.जी.) ११/२००७/आर.सी./कोर/। दिनांक १६.१०.२०१७ एवं समय-समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों/शर्तों से शासित होंगे। इन्हें इस के अलावा अन्य कोई भी रेल सुविधा देय नहीं होगी।
५. री-इंगेजमेंट किए गए भूतपूर्व कर्मचारियों की सेवा कभी भी बिना नोटिस के समाप्त की जा सकती है।
६. ऐसे आवेदक जिन्होंने अधिसूचना के पूर्व ही अपने आवेदन दिये हैं वे पुनः निर्धारित प्रारूप में आवश्यक संलग्नों के साथ आवेदन प्रेषित करें।

.....2

7. महाप्रबन्धक (कार्मिक) कार्यालय, गोरखपुर के परिचाद कक्ष में इसके लिए एक वाक्स भी रखा गया है, जिसमें आवेदन डाला जा सकता है तथा इच्छुक अभ्यर्थी रजिस्टर्ड डाक से परिचाद कक्ष, महाप्रबन्धक/कार्मिक/पूर्वात्तर रेलवे/गोरखपुर पिन-273012 को भी आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन भेजने की अंतिम तिथि दिनांक 08.02.2019 सायं 18.00 बजे तक है।

8. रिक्ति के अनुसार सश्लिखित कैडर के सेवानिवृत्त रेल सेवक ही आवेदन कर सकते हैं।

9. इसके लिए स्थानीय समाचार पत्रों में भी अधिसूचना जारी की जा रही है।

10. यह स्कीम 01.12.2019 तक वैध होगी, तत्संबन्धी रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का भी अनुपालन किया जाएगा।

11. आवेदन का प्रारूप संलग्न है।

अतः दिनांक 08.02.2019 तक सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी जो मुख्यालय इकाई गोरखपुर में मासिक पारिश्रमिक के आधार पर कार्य करने के इच्छुक हैं, अपना आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रोफार्मा पर (सेवा प्रमाण पत्र एवं पी.पी.ओ. के साथ) दिनांक 08.02.2019 तक महाप्रबन्धक/कार्मिक, पूर्वात्तर रेलवे/गोरखपुर को प्रेषित करें।

संलग्नक- आवेदन पत्र का प्रारूप।

सकाधि/मुख्यालय
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

सं0 का/227/1/रीडिंगमेन्ड/साग-VIII/2019

दिनांक 28.01.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अपर महाप्रबन्धक, पूरवे, गोरखपुर।
2. प्रमुख विभागप्रबन्धक/कार्मिक, प्रमुई, प्रमुविई, प्रमुपरिप, प्रमुवाप/गोरखपुर।
3. मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी, पूरवे, गोरखपुर - कृपया उक्त अधिसूचना को स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचित करने की व्यवस्था करें।
4. सचिव/महाप्रबन्धक, गोरखपुर
5. सकाधि मुख्यालय-11, पूरवे, गोरखपुर - इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त अधिसूचना को रेलवे के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. महामंत्री/नरम्/अजा/अजजा/आधीसी/एसोसियेशन, गोरखपुर।
7. नोटिस बोर्ड हेतु।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

रेलवे बोर्ड का पत्र सं० ई(एन.जी) 11/2007/आर.सी-4/सी.ओ.आर.ई/1 दिनांक 12.12.2017
 महाप्रबन्धक/कार्गिक, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर का अधिसूचना सं० का/227/1/सीईजेजमेन्ट/भाग-VIII/2019
 दिनांक 28.01.2019

1.	नाम	
2	पिता का नाम	
3	जन्म तिथि	
4	सेवानिवृत्ति के समय पद	
5	आवेदित पद	
6	कार्यालय जहां से सेवानिवृत्त हुए हैं	
7	सेवानिवृत्ति की तिथि	
8	लेबल	
9	अंतिम मूल वेतन	
10	पेंशन की रकम	
11	पत्राचार का पता	
12	सम्पर्क नम्बर (मोबाइल)	
13	संलग्न (हैं/नहीं)	1. सेवा प्रमाण पत्र-
		2. पेंशन शुभतान आदेश

मेरी जानकारी में उपर दिये गये सभी विवरण सही एवं सत्य है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि पुनर्नियोजन के पश्चात रेलवे बोर्ड/महाप्रबन्धक (कार्गिक), पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले नियम एवं शर्तों का पालन करूँगा/करूँगी।

दिनांक

हस्ताक्षर

पत्राचार का पता :-

नाम -

.....

.....

.....

मोबाईल नम्बर